

सेवा में,

श्रीमान् केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/उप निदेशक, महोदय
तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय,(O.I.S.D.)
भारत-सरकार, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय
8th फ्लोर, ओ.आई.डी.बी. भवन
प्लॉट नम्बर-02, सेक्टर-73, नोएडा, पिन-201301

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत निम्न 10 बिन्दुओं पर इच्छित-सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन ।

बिन्दुसंख्या01:- तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय(O.I.S.D.), प्रधान-कार्यालय अभिलेखानुसार, पेट्रोलियम-पदार्थों के अग्निदुर्घटना में अग्निशमन एवं जीव-रक्षा कार्य(FIRE-FIGHTING & LIFE SAFETY WORK), अत्यन्त जोखिम कार्य(HIGH RISK WORK) हैं अथवा नहीं, उल्लेख कीजिए ।

बिन्दुसंख्या02:- तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय(O.I.S.D.), प्रधान-कार्यालय अभिलेखानुसार, प्राकृतिक गैसों के अग्निदुर्घटना में अग्निशमन एवं जीव-रक्षा कार्य(FIRE-FIGHTING & LIFE SAFETY WORK), अत्यन्त जोखिम कार्य(HIGH RISK WORK) हैं अथवा नहीं, उल्लेख कीजिए ।

बिन्दुसंख्या03:- तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय(O.I.S.D.), प्रधान-कार्यालय के अभिलेखानुसार, पेट्रोलियम-पदार्थों एवं प्राकृतिक गैसों के अग्निदुर्घटना के बचाव के लिए, जारी की गयी दिशा-निर्देशों की प्रमाणित-छायाप्रति प्रदान करने का कष्ट करें ।

बिन्दुसंख्या04:- तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय(O.I.S.D.), के द्वारा, पेट्रोलियम-पदार्थों एवं प्राकृतिक गैसों के अग्निदुर्घटना हो जाने पर अग्निशमन एवं जीव-रक्षा कार्य(FIRE-FIGHTING & LIFE SAFETY WORK) को कैसे किया जाये अथवा Do & Don't सम्बन्धी दिशा-निर्देशों की सूची भी प्रदान करने का कष्ट करें ।

बिन्दुसंख्या05:- तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय(O.I.S.D.), के द्वारा पेट्रोलियम-पदार्थों एवं प्राकृतिक गैसों के अग्निदुर्घटना के दृष्टिगत तेल एवं प्राकृतिक गैस उद्योगों के लिए जारी निर्देशन के अनुसार, सभी अति-आवश्यक अग्निशमन उपकरणों की सूची को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

बिन्दुसंख्या06:- तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय(O.I.S.D.), के द्वारा पेट्रोलियम-पदार्थों एवं प्राकृतिक गैसों के अग्निदुर्घटना के दृष्टिगत तेल एवं प्राकृतिक गैस उद्योगों के लिए जारी निर्देशन के अनुसार, सभी सामान्य/साधारण अग्निशमन उपकरणों की सूची को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

बिन्दुसंख्या07:- तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय(O.I.S.D.), प्रधान-कार्यालय के वार्षिक-अभिलेखानुसार, वर्ष-2016 में हुये पेट्रोलियम-पदार्थों एवं प्राकृतिक गैसों के अग्निदुर्घटनाओं की संख्या का उल्लेख कीजिए ।

बिन्दुसंख्या08:- तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय(O.I.S.D.), प्रधान-कार्यालय के वार्षिक-अभिलेखानुसार, वर्ष-2016 में हुये पेट्रोलियम-पदार्थों एवं प्राकृतिक गैसों के अग्निदुर्घटनाओं में हुये सभी जीवों(मनुष्यों) की मृत्यु को, संख्या में उल्लेख कीजिए, (इच्छित-सूचना संख्या में उल्लेख कीजिए)

बिन्दुसंख्या09:- तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय(O.I.S.D.), प्रधान-कार्यालय के वार्षिक-अभिलेखानुसार, वर्ष-2016 में हुये पेट्रोलियम-पदार्थों एवं प्राकृतिक गैसों के अग्निदुर्घटनाओं में हुये सभी जीवों(पशुओं) की मृत्यु को, संख्या में उल्लेख कीजिए, (इच्छित-सूचना संख्या में उल्लेख कीजिए)

दिनांक 10:- रेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (O.I.S.D.), प्रधान-कार्यालय के वार्षिक-अभिलेखानुसार, वर्ष-2016 में हुए पेट्रोलियम-पदार्थ एवं प्राकृतिक गैसों के अतिवर्धनांशों में हुए सभी बल-अवल सम्पत्तियों नुकसान का उल्लेख (धनराशि में) कीजिए।

11


नोट-सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-6(3) प्राविधान के अन्तर्गत इच्छित-सूचना मंगवाकर उपलब्ध करायी जा सकती है।

1. भारतीय पोस्टल ऑडर में के.के.पी.एन सूचना अधिकारी के पदनाम/पते को रिक्त इस आशय से रखा गया है कि इच्छित-सूचना से सम्बन्धित के.के.पी.एन सूचना अधिकारी के पदनाम/पते के पक्ष में, आवेदन-शुल्क के आहरण हेतु भारतीय पोस्टल ऑडर किया जा सके।
2. इच्छित-सूचना के साथ अपीलीय अधिकारी (प्रथम) के पदनाम/पते का विवरण भी उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया जाता है।
3. भारतीय पोस्टल ऑडर संख्या 33F.915913, 33F.915914
4. आवेदन शुल्क 20/- रुपये।

अवेदक,

सीएसआरएल, (एडवोकेट)

माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड
C/O भगत जनरल स्टोर, कुम्भपुर बाजार, लालकुर्ती
-यानीखेत, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड-263645


11.11.2017

ते. उ. सु. नि. / O.I.S.D.
दिनांक / Date : 11.11.2017
प्राप्त किया / Received



तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय
OIL INDUSTRY SAFETY DIRECTORATE

भारत सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
8वां तल, टॉवर-ए, ओआईडीबी, भवन,
प्लॉट नं. 2, सेक्टर-73, नोएडा-201301

Government of India, Ministry of Petroleum & Natural Gas
8th Floor, Tower-A, OISD Bhawan
Plot No. 2, Sector-73, NOIDA - 201301
दूरभाष/Tel.: +91-120-2593800, 2593801
फैक्स/Fax: +91-120-2593802, 2593858
वेबसाइट/Website: www.oisd.gov.in

संख्या, ओआईएसडी / आरटीआई / 09

दिनांक: 15.12.2017

सेवा में,

श्री सी. एस रावत (एडवोकेट)
माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल उत्तराखंड
C/O भगत जनरल स्टोर, कुमपुर बाजार
लाल कुर्ती, रानीखेत, अल्मोड़ा
उत्तराखंड-263645

महोदय,

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत मांगी गई सूचना

यह आपके आरटीआई आवेदन नंबर शून्य, दिनांक 13.11.2017 के संदर्भ में है, जो हमारे कार्यालय में 17.11.2017 को प्राप्त हुआ था। जैसा आपके द्वारा वांछित है, हम क्रमानुसार, उपलब्ध रूप में, मांग की गई जानकारी के उत्तर को नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं:

1. तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (OISD), प्रधान - कार्यालय अभिलेखानुसार, पेट्रोलियम पदार्थों के अग्निदुर्घटना में अग्निशमन एवं जीव रक्षा कार्य (FIRE-FIGHTING & LIFE SAVING WORK), अत्यंत जोखिम कार्य (HIGH RISK WORK) है अथवा नहीं, उल्लेख कीजिए।

जवाब:

तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (OISD) अभिलेखानुसार, पेट्रोलियम पदार्थों के अग्निदुर्घटना में अग्निशमन एवं जीव रक्षा कार्य (FIRE-FIGHTING & LIFE SAVING WORK), अत्यंत जोखिम कार्य या अन्यथा परिभाषित नहीं किया गया है।

2. तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (OISD), प्रधान - कार्यालय अभिलेखानुसार, प्राकृतिक गैसों के अग्नि दुर्घटना में अग्निशमन एवं जीव रक्षा कार्य (FIRE-FIGHTING & LIFE SAVING WORK), अत्यंत जोखिम कार्य (HIGH RISK WORK) है अथवा नहीं, उल्लेख कीजिए।

जवाब:

तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (OISD) अभिलेखानुसार, प्राकृतिक गैसों के अग्निदुर्घटना में अग्निशमन एवं जीव रक्षा कार्य (FIRE-FIGHTING & LIFE SAVING WORK), अत्यंत जोखिम कार्य या अन्यथा परिभाषित नहीं किया गया है।

3. तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (OISD), प्रधान-कार्यालय के अभिलेखानुसार, पेट्रोलियम पदार्थों एवं प्राकृतिक गैसों के अग्नि दुर्घटना के बचाव के लिए, जारी की गई दिशा निर्देशों की प्रमाणित छायाप्रति प्रदान करने का कष्ट करें।

जवाब:

अग्नि दुर्घटना के बचाव के लिए, विभिन्न तेल और गैस कंपनियों अपने इन्सटालेशनस के सभी कार्यों और प्रक्रियाओं के लिए दिशानिर्देश जारी करते हैं। इन दिशानिर्देशों की प्रमाणित प्रतिलिपि संबंधित इन्सटालेशनस/ संस्थाओं के पास उपलब्ध है।

4. तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (OISD), के द्वारा, पेट्रोलियम- पदार्थों एवं प्राकृतिक गैसों के अग्नि दुर्घटना हो जाने पर अग्निशमन एवं जीव रक्षा कार्य (FIRE-FIGHTING & LIFE SAVING WORK) को कैसे किया जाए अथवा Do & Don't संबंधी दिशा निर्देशों की सूची भी प्रदान करने का कष्ट करें।

जवाब:

पेट्रोलियम- पदार्थों एवं प्राकृतिक गैसों के अग्नि दुर्घटना हो जाने पर, अग्निशमन एवं जीव रक्षा कार्य के लिए उठाए जाने वाले कदम अथवा Do & Don't, इन्सटालेशन और संबंधित पदार्थ के अनुसार भिन्न-भिन्न होते हैं।

मांग की गई जानकारी सामान्य है और विशिष्ट नहीं है, इसलिए, तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय ब्यौरा प्रदान करने की स्थिति में नहीं है।

5. तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (OISD), के द्वारा पेट्रोलियम- पदार्थों एवं प्राकृतिक गैसों के अग्नि दुर्घटना के दृष्टिगत तेल एवं प्राकृतिक गैस उद्योगों के लिए जारी निर्देशन के अनुसार सभी अति- आवश्यक अग्निशमन उपकरणों की सूची को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

जवाब:

तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (OISD), के द्वारा पेट्रोलियम- पदार्थों एवं प्राकृतिक गैसों के अग्नि दुर्घटना के दृष्टिगत तेल एवं प्राकृतिक गैस कंपनियों के लिए जारी निर्देशन के अनुसार अग्निशमन उपकरणों की संकेतक सूची नीचे विस्तृत है :

- क) पीओएल टर्मिनल और डीपो / एलपीजी संयंत्र / प्रोसस और अभियांत्रिकी : अनुलग्नक- क
ख) अन्वेषण और उत्पादन : अनुलग्नक- ख

6. तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (OISD), के द्वारा पेट्रोलियम- पदार्थों एवं प्राकृतिक गैसों के अग्नि दुर्घटना के दृष्टिगत तेल एवं प्राकृतिक गैस उद्योगों के लिए जारी निर्देशन के अनुसार सभी सामान्य / साधारण अग्निशमन उपकरणों की सूची को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

जवाब:

जैसा कि ऊपर 5 में उल्लिखित है।

7. तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (OISD), प्रधान- कार्यालय के वार्षिक अभिलेखानुसार वर्ष -2016 में हुए पेट्रोलियम -पदार्थों एवं प्राकृतिक गैसों के अग्नि दुर्घटनाओं की संख्या का उल्लेख कीजिए।

जवाब:

तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (OISD) के अभिलेखानुसार वर्ष 2016-17 में पेट्रोलियम -पदार्थों एवं प्राकृतिक गैस इन्सटालेशनस के अग्नि दुर्घटनाओं की संख्या, जैसा कि तेल और गैस कंपनियों द्वारा उल्लिखित किया गया है, 15 है।

8. तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (OISD), प्रधान- कार्यालय के वार्षिक अभिलेखानुसार वर्ष -2016 में हुए पेट्रोलियम -पदार्थों एवं प्राकृतिक गैसों के अग्नि दुर्घटनाओं में हुए सभी जीवो (मनुष्यों) की मृत्यु को, संख्या में उल्लेख कीजिए.(इच्छित- सूचना संख्या में उल्लेख कीजिए).

जवाब:

तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (OISD) के अभिलेखानुसार वर्ष 2016-17 में पेट्रोलियम -पदार्थों एवं प्राकृतिक गैस इन्सटालेशनस के अग्नि दुर्घटनाओं में हुए सभी जीवो (मनुष्यों) की मृत्यु की संख्या , जैसा कि तेल और प्राकृतिक गैस कंपनियों द्वारा उल्लिखित किया गया है, 13 है।

9. तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (OISD), प्रधान- कार्यालय के वार्षिक अभिलेखानुसार वर्ष -2016 में हुए पेट्रोलियम -पदार्थों एवं प्राकृतिक गैसों के अग्नि दुर्घटनाओं में हुए सभी जीवो (पशुओं) की मृत्यु को, संख्या में उल्लेख कीजिए.(इच्छित- सूचना संख्या में उल्लेख कीजिए).

जवाब:

तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (OISD) के अभिलेखानुसार, मांग की गई जानकारी तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय द्वारा नहीं रखी जाती है।

10. तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (OISD), प्रधान- कार्यालय के वार्षिक अभिलेखानुसार वर्ष 2016 में हुए पेट्रोलियम -पदार्थों एवं प्राकृतिक गैसों के अग्नि दुर्घटनाओं में हुए सभी चल -अचल संपत्तियों नुकसान का उल्लेख (धनराशि) में कीजिए.

जवाब:

मांग की गई जानकारी , तेल एवं प्राकृतिक गैस कंपनियों से प्राप्त की जा सकती है ।

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना मांगने के लिए आवेदन शुल्क, रुपया 10/- है । आपने आवेदन शुल्क, रुपया 20/- , भारतीय पोस्टल आडर के रुप में भेजा है, अतः, आपका भारतीय पोस्टल आडर 33 F 915914 (राशि रुपया 10/-) इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है।

यदि आप केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट हैं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को, जिनका पता नीचे दिया गया है, इस उत्तर की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर पुनर्विचार की अपील कर सकते हैं :

श्री रंजन महरोत्रा
निदेशक (विपणन, एल.पी.जी)
तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय
8 वीं मंजिल, ओआईडीबी भवन
प्लॉट नं .2, सेक्टर -73
नोएडा 201301

सौरभ कुमार आर्य^{भवदीय,}
(सौरभ कुमार आर्य)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी-ओआईएसडी

संलग्न-पत्रादि: ऊपरोक्त अनुसार

अनुलग्नक- क

01. Fire Water Storage Tanks
02. Fire Water Pumps
03. Fire Hydrant Network
04. Medium Velocity Sprinkler System
05. Automatic Fire Protection System
06. Fire Monitors
07. Fire Hydrants
08. Portable Fire Extinguishers
09. Wheeled Mobile fire-fighting equipment
10. Hydrant Hoses
11. Fire nozzles
12. Fire Hoses
13. Safety Helmets
14. Hose Boxes
15. Rubber Hand Gloves for electrical purpose
16. Low temperature Hand Gloves
17. Low temp. Protective clothing
18. Fire Proximity Suit
19. Resuscitator
20. Red/Green Flags
21. Self – contained breathing apparatus
22. Water Jel Blankest
23. Gas Detectors
24. Portable Gas Detectors
25. Emergency Control System
26. Emergency Alarm System
27. Fire Alarm System
28. Communication System
29. Foam System
30. Clean Agent Protection System
31. Foam Generators
32. High Volume Long Range Monitors (HVLR)
33. Automatic Actuated Rim Seal Fire Detection and Extinguishing System

अनुलप्रक-ख

1. Portable fire extinguishers
2. Fire Water Pump
3. Fire monitors
4. Fire hoses
5. Fire hydrants
6. Hydrants hoses
7. Deluge system
8. Fire / Flame detector
9. Halon / FM200 SYSTEM / CO2 Flooding system.
10. Gas detector (HC & H2S)
11. Smoke detector
12. Temperature Transmitter
13. Thermal Detector
14. Communication equipment & System
15. F&G Panel
16. Fall prevention on mast ladder with safety belt
17. Fire dampeners
18. Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA)
19. Water sprinkler system
20. Fire man suites
21. Safety helmets
22. Hand gloves

